

e-office No. 589818/19/CF

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

[भर्ती प्रकोष्ठ]

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.9-313/2018-स्था.(भर्ती)  
No.F.9-313/2018-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29  
Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक: 19 JUL 2019

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में निजी सचिव (50% पदोन्नति के मोड के तहत) के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Private Secretary (under the mode of 50% by Promotion) at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 16.05.2019 को निजी सचिव (50% पदोन्नति के मोड के तहत) के पद हेतु विभागीय समीक्षा पदोन्नति समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, श्रीमति रेनु प्रकाश (टिग्गा), निजी सहायक को पे मेट्रिक्स के लेवल-7 (पूर्व संशोधित वेतन पी.बी.2 रु. 9300-34800 + रु. 4600/- ग्रेड पे) में निजी सचिव (50% पदोन्नति के मोड के तहत) दिनांक 16.03.2010 से पदोन्नत किया जाता है:-

Consequent upon the recommendations of the Review Departmental Promotion Committee in its meeting held on 16<sup>th</sup> May 2019 and its acceptance by the Competent Authority, **Mrs. Renu Prakash (Tigga)**, Personal Assistant is promoted to the post of Private Secretary (under the mode of 50% by promotion) in the Level-7 of the Pay Matrix (pre-revised PB-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs 4600/-) w.e.f. 16.03.2010.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय औषध निर्भरता अपचार केन्द्र, गाजियाबाद/आऊटरीच ओ.पी.डी., झज्जर/राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर, हरियाणा तथा वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण केन्द्र तथा भविष्य में संस्थान द्वारा खोले जाने वाले अन्य केन्द्रों में कार्यरत उनके स्तर के कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/ National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad)/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वेतनमान का लेवल-7 (पूर्व संशोधित वेतन पी.बी.2 रु. 9300-34800 + रु. 4600/- ग्रेड पे) प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22(I) either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided she has not been granted Level-7 of the Pay Matrix (pre-revised PB-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs 4600/-) under ACP/MACP Scheme.

पृष्ठ 2 पर जारी

वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएँ किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation she will be required to put in satisfactory service failing which her services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

निजी सहायक के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस.एल.पी. के परिणाम या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन हैं।

The offer of promotion to the post of Personal Assistant is subject of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

*[Signature]*  
19/7/19

[बी.एस. गिल /B.S. Gill.]

प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

संबन्धित व्यक्ति/ Person concerned

द्वारा: आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, साइकेट्री

Through:- Head of Department of Psychiatry

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, साइकेट्री // Professor & Head, Psychiatry Department
- 2) उप निदेशक (प्रशा.)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव // PPS/PS to DDA/CAO
- 3) स्थापना अनुभाग- नि.का./Establishment Section - D.O.
- 4) लेखा अनुभाग-II एवं III/Accounts Section II & III
- 5) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग  
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section
- 6) सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ  
Vigilance Cell / ACR's Cell / SC/ST Cell
- 7) संरक्षण मिसिल // Guard File
- 8) Professor-in-charge Computer Facility - with the request to upload the same on Institute website.



*[Handwritten signature]*  
20/7/19  
श्री. संजय कुमार